समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in
मो0–8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2019 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 11.11.2019 को खरीफ विपणन मौसम 2019–20 हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में आगामी धान अधिप्राप्ति मौसम 2019–20 के सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्नाकिंत निर्णय लिये गये :–

1. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (DCP) के अन्तर्गत अधिप्राप्ति का कार्य किया जाना है। अधिप्राप्ति का कार्य ससमय एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न किया जा सके इसके लिए अग्रिम तैयारियॉ किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में धान अधिप्राप्ति से जुडे विभिन्न विभागो यथा सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, योजना एवं विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ–साथ जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति शुरू होने से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियॉ पूर्ण करने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया, जो निम्नवत है :–
2. जिला प्रबधंक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को निदेशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। जिला प्रबंधक धान अधिप्राप्ति से संबंधित सभी CMR गोदाम प्रबंधक तथा गोदाम पर कार्यरत श्रमिकों का आई0डी0 कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें साथ ही अधिप्राप्ति के लिए अधिसूचित CMR गोदामों का भौतिक सत्यापन कराकर Zero Balance कराना सुनिश्यित करेगें। किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति अवधि में गोदाम पर कोई भी अवांछित तत्व व व्यक्ति मौजूद नहीं रहे, इसे गहनता पूर्वक अनुश्रवण कर सुनिश्चित करायेगे (अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।
3. **राइस मिलों का निबंधन :–** उपमहाप्रबंधक, अधिप्राप्ति, बिहार स्टेट फूड एन्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, बिहार पटना के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के लिए मिलो के चयन से संबंधित आदेश ज्ञापांक–10509 दिनांक–15/10/2019 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर सुनिश्चित करेगे। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मिलिंग कार्य हेतु जिला अन्तर्गत कार्यरत मिलों का पंजीकरण/नवीकरण अग्रिम तौर पर करने हेतु ससमय मिलरों का चयन एवं एकरारनामा कर मिलिंग की कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। उक्त हेतु मिल का ऑनलाईन पंजीकरण/नवीकरण "बिहार स्टेट फूड एन्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0," के वेबसाईट "sfc.bihar.gov.in" पर "Paddy Procurement Link" पर "मिल रजिस्ट्रेशन" पर होगी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को उक्त हेतु सभी तैयारियॉ पूरी करने तथा ऑनलाईन निबंधन संबंधी प्रचार–प्रसार करने का निदेश दिया गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर मिलों के चयन के पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि वे पूर्व में किसी भी रूप में प्रमादी घोषित नहीं हो। इस संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि राइस मिलों निबंधन प्रारंभ नही हुआ है, परन्तु सभी राइस मिलरों से सम्पर्क कर कागजात की मांग की गयी है तथा निबंधन प्रारंभ किया जा रहा है (अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।

4. **क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं संचालन** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को सभी क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए सभी निर्धारित तय मानको सहित इसके नियमित संचालन करने का निदेश दिया गया। साथ ही क्रय केन्दों पर विभागीय दिशा निर्देश के आलोक मे निर्धारित सभी तय मानको के अनुसार बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

- सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जाने वाले पैक्सों/व्यापार मंडलों के स्तर पर गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी। पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान के विरूद्ध अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर मिलरों को धान उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे गोदाम जहॉ पहुँच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है, उन गोदामों को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर की होगी।
- खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अर्न्तगत पैक्स द्वारा पंचायत स्तर पर और व्यापार मण्डल द्वारा प्रखण्ड स्तर पर एक–एक कय केन्द्र की स्थापना किया जाएगा। इन कय केन्द्रो पर निम्नांकित तैयारियॉ ससमय पूरी कर लेनी होगी :–

  1. कय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन, 2. किसानो का ऑनलाईन पंजीकरण, 3. कय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भण्डारण हेतु गोदाम का समुचित व्यवस्था, 4. माप तौल यंत्र की व्यवस्था, 5. Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration, 6. Blower/Driver की व्यवस्था, 7. प्रतिदिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची जिले के वेबसाईट/पैक्स/व्यापार मण्डलों के कय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके, 8. पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था, 9. मापदण्ड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था, 10. पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था, 11. केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना, 12. विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण, 13. किसानों को PFMS के माध्यम से अविलंब (48 घण्टो के अन्दर) भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।

- सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जाने वाले पैक्सों/व्यापार मण्डलों के स्तर पर गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी। पैक्स/व्यापार मण्डलों द्वारा किसानों से कय किये गये धान के विरूद्ध अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर मिलरों को धान उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे गोदाम जहॉ पहुँच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है, उन गोदामों को चिन्हित कर आपदा मोड में पहुँच पथ तैयार कराकर नव निर्मित गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे।
- पैक्स एवं व्यापार मण्डल कय केन्द्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को धान प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद एवं राशि भुगतान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे।
- पैक्स/व्यापार मण्डल कय केन्द्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषको को धान प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद एवं राशि भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध करायेंगे।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन/MS-Excel Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड/जिला मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था प्रखण्ड सहाकारिता प्रसार पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर करेंगे।
- अधिप्राप्ति अवधि 31.03.2019 के समाप्त होते ही संबधित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पैक्स/व्यापार मण्डल के कय केन्द्र से विहित प्रपत्र में धान कय का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन (GPS युक्त वीडियोंग्राफी/फोटोग्राफी कय केन्द्रों से अपलोड करेंगे) कर एवं प्रतिहस्ताक्षर कर अधिकतम 10 दिनों के अन्दर उसे समेकित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रहे कि अन्तिम प्रतिवेदन समर्पित करने के

पश्चात् उसमें पुनः किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा (अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर)।

5. **पैक्स/व्यापार मण्डल का चयन** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को अधिप्राप्ति कार्य हेतु विभागीय नियमानुसार पात्र पैक्सों का चयन कर एक सप्ताह के अन्दर सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि पैक्स चुनाव 2019 के होने के कारण अधिकांश पैक्स सुपरसीड हो रहा है तथा प्रथम चरण में 05 व्यापार मंडल से अधिप्राप्ति करने हेतु सूची तैयार कर ली गयी है। शेष पैक्स/व्यापार मण्डलों का चयन अगली बैठक में किया जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर चयनित सूची व्यापार मंडलों के विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन रैन्डम जॉच हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही व्यापार मंडलों के गोदामों का भी भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेगे कि वे आगामी धान अधिप्राप्ति के लिए सभी निर्धारित मानकों के साथ पूर्णरूप से तैयार रहे (अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।
6. **पैक्स/व्यापार मण्डल अध्यक्षों के साथ बैठक** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को सभी व्यापार मण्डल अध्यक्षों के साथ बैठक करने का निदेश दिया गया तथा सभी संबंधितों को Android Mobile (e-PACS) के माध्यम से OPMS (Online Procurement Management System) से संबंधित प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया (अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।
7. **CMR गोदाम की उपलब्धता** :– बैठक में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को बाजार समिति, बक्सर स्थित CMR गोदाम को विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिप्राप्ति कार्य हेतु तैयार करने का निदेश दिया गया तथा गुणवत्ता नियंत्रक को आवश्यक विभागीय प्रशिक्षण देने का भी निदेश दिया गया। साथ ही भौतिक सत्यापन के उपरान्त यदि गोदामो में मरम्मति की आवश्यकता है तो इसके लिए निगम को अविलंब अधियाचना/प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया (अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।
8. **किसानों का ऑनलाईन निबंधन** :– खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिये किसानों का ऑन लाईन निबंधन हेतु विभागीय दिशा निर्देश के आलोक मे सभी अपेक्षित कार्रवाई ससमय करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया (अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।
9. बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर को पंचायतवार/प्रखण्डवार धान की किये गये खेती से संबंधित रकबा (कृषि संबंधी आच्छादन) एवं उत्पादकता संबंधित प्रतिवेदन इस माह के अन्त तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया (अनुपालन :– जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर)।
10. बैठक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को प्रति हेक्टेयर/प्रति एकड़ धान की उत्पादकता संबंधित प्रतिवेदन इस माह के अन्त तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया (अनुपालन :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर)।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

25/11/19
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर

25/11/19
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-1230/आ0, दिनांक 25/11/2019

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

D:\KMS 2019-20\Proceding 11-11-2019.docx

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, आरा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० / सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, बक्सर / डुमरॉव / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव / जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बक्सर / जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर / सभी वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर / जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–नोडल पदाधिकारी, धान अधिप्राप्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ समर्पित

प्रतिलिपि– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित

26/11/19

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

D:\KMS 2019-20\Proceding 11-11-2019.docx